

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 14/2021

वादीगण-

1. रिद्धकरण पुत्र निम्बाराम
जाति- जाट निवासीगण-जायल, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामकिशोर पुत्र गजाधर
2. लिखमाराम पुत्र निम्बाराम
3. नानी पुत्री निम्बाराम
4. अणची पुत्री निम्बाराम
5. तीजा पुत्री निम्बाराम
6. मनोज पुत्री गजाधार
7. बाउ देवी पुत्री गजाधार
जातियान-जाट निवासीगण-जायल, तहसील जायल (नागौर)
8. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-

1. श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 7
3. प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जात है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 264,470,65 में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3380 दिनांक 25.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रिद्धकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 470 रकबा 2.3634 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

28/9/2021
सहायक कलेक्टर
(ए.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 14/2021
रिद्धकरण बनाम रामकिशोर वर्मा

1. प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 264 रकबा 2.2096 हैक्टेयर पूरा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 65 रकबा 3.2294 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के हक बंट में मुतदाविया खेतियों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर ही तहसीदार जायल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर (राजस्व) अधिकारी
जायल (नागौर)

मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भाव -
लाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक - की अदा करें। वयक्त मेरे
तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ... 28/9/2021 ... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
			मीजान		

:- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर (राजस्व) अधिकारी
जायल (नागौर)